निर्माता : राजस्थान ... अलवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 02/2021 | तारीख दायर 02-07-2021 | तारीख फैसला 18/04/2022

बउनवान :-

01. विनोद कुमार पुत्र किशोरीलाल जाति जाटव निवासी ग्राम हरचन्दपुर बीलाहेडी तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0), हाल काश्तकार वाके ग्राम हुसैपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)।

---:: प्रार्थी

ब ना म

01. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार पैरोकार भूमिधारी तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)
02. मीनाक्षी बोकोलिया पत्नी श्री युद्ववीरसिंह बोकोलिया जाति रेगर निवासी 3119/35 बोदनपुरा
03. लीला भूरन्डा पत्नी श्री राजेन्द्र भूरन्डा जाति रेगर निवासी देवनगर करोल बाग
04. सुनिता चन्दोलिया पत्नी दिनेश चन्दोलिया जाति रेगर निवासी 4600/5, रेगरपुरा करोल बाग, नई दिल्ली
05. हिमान्शी शेरसिया पत्नी श्री भूपेन्द्र शेरसिया जाति रेगर निवासी 5520/73, रेगरपुरा करोल बाग, नई दिल्ली

---:: अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

-:: निर्णय ::-

पत्रावली आज पेश हुई। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी अशोक कुमार अग्रवाल ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत किया है हाल आराजी खसरा नम्बर 18 रकबा 2.21 है0 वाके ग्राम हुसैपुर तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 5 की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 5 के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संयुक्त का अंकन दरामद हो रहा है। अब अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 5 के मन में बेईमानी आ गई है और मिन प्रार्थी के हिस्से की भूमि में मजाहमत व मदाखलत उत्पन्न कर मिन प्रार्थी को उसके हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल करने पर आमादा है। जिस पर मिन प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार तिजारा को उक्त आराजी की पैमाईश कराने हेतु पेश किया। जिस पर तहसीलदार तिजारा ने हल्का पटवारी व कानूनगों को आदेशित किया। हल्का पटवारी व कानूनगों ने तहसीलदार तिजारा के आदेश क्रमांक भू.अ./20/10670 दिनांक 02.12.2020 की अनुपालना में दिनांक 03.12.2020 को आराजी खसरा नम्बर 18 रकबा 2.21 है0 वाके ग्राम हुसैपुर तहसील तिजारा जिला अलवर पर उपस्थित मौतबीरानों के साथ पहुँचे व मौके पर आराजी खसरा नम्बर 18 रकबा 2.21 है0 का सीमाज्ञान किया। जिसमें यह अंकन किया गया कि उक्त आराजी ग्राम लाधावाडा व हुसैपुर की सीमा पर स्थित है

उपखण्ड अधिकारी

मौके ग्राम लाधावाडा के आराजी खसरा नम्बर 232 गैर मु0 कुआ मुरतकिल बिन्दु से दक्षिण की ओर जरीब चलाकर ग्राम हुसैपुर की आराजी खसरा नम्बर 18 की सीमाओं की जानकारी प्रार्थी को करवाई गई, जिससे प्रार्थी सन्तुष्ट हुआ। निशानात मौके पर लगवाये गये एवं उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराये। मुताबिक मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान दिनांक 03.12.2020 के अनुसार हाल आराजी खसरा नम्बर 18 रकबा 2.21 है0 वाके ग्राम हुसैपुर तहसील तिजारा जिला अलवर में मिन प्रार्थी के मुताबिक जमाबन्दी हिस्से की भूमि की पत्थरगढी कराई जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार तिजारा को नोटिस जार किया जाकर जवाब सरकार तहसीलदार ने अपना जवाब पेश नहीं किया गया प्रकरण में कोई राजकीय हित प्रभावित नहीं होता सरकार जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 द्वारा ऐतराज निम्न पेश किया है कि प्रार्थी विनोद कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अवैधानिक है आराजी खसरा नम्बर 18 वाके ग्राम हुसैपुर तहसील तिजारा में हक अप्रार्थीगण व दो अन्य सहखातेदारान का हिस्सा निहित है। जिनकी बिना सहमति से आराजी की पैमाईश कराई गई है। समस्त सहखातेदारान की सहमति से आराजी की पैमाईश संभव नहीं है एव हम अप्रार्थीगण वक्त पैमाईश मौके पर उपस्थित नहीं थे। इसलिए अकेला प्रार्थी विनोद कुमार उपरोक्त आराजी का धारा 128 एल.आर.एक्ट में आवेदन नहीं कर सकता है। धारा 128 एल.आर.एक्ट में आवेदन प्रस्तुत करते समय आस पडौस के खेतों के खातेदारान को पक्षकार मुकदमा बनाया जाना आवश्यक होता है परन्तु प्रार्थी विनोद कुमार द्वारा आराजी खसरा नम्बर 18 के तरफ उत्तर में व आराजी के तरफ पूर्व, पश्चिम व दक्षिण में कौन कौन काश्तकार किन किन खसरा नम्बरान में काबिज व दाखिल है, उनका उल्लेख नहीं किया है और ना ही उन्हें पक्षकार मुकदमा बनाया गया है जिस कारण से यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। धारा 111 व 128 राज. भू राजस्व अधिनियम सीमा विवाद के बारे में स्पष्ट प्रावधान है कि लैण्ड रिकार्ड आफिसर अर्थात उपखण्ड अधिकारी सीमा विवाद को तैय करेगा, जिसके आधार पर विधमान सर्वे मेप को बनाया जावेगा। सर्वे मेप उपलब्ध नहीं हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर सीमा ज्ञान कराया जावेगा तथा यह भी स्पष्ट है कि राज. भू अधिनियम की धारा 128 के तहत जहां कहीं विवाद ना हो, केवल सीमा ज्ञान कराना हो, वह तहसीलदार के स्तर पर कार्यवाही की जा सकेगी परन्तु जहां विवाद हो वहां लैण्ड रिकार्ड आफिसर अर्थात् उपखण्ड अधिकारी द्वारा धारा 111 राज. भू राजस्व अधिनियम में सीमा ज्ञान कराया जायेगा। उपखण्ड अधिकारी अर्थात लैण्ड रिकार्ड आफिसर के पास विवाद आने पर वह तहसीलदार को सीमाज्ञान कराने का आदेश दे सकता है या तहसीलदार के साथ अन्य राजस्व कर्मचारियों की टीम बनाकर मौके की रिपोर्ट तलब कर सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी विनोद कुमार के पैमाईश आवेदन पर पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी विनोद कुमार से साज बाज होकर गलत रिपोर्ट पेश की गई कि मौके पर विवाद नहीं है जवकि मौके पर विवाद मौजूद था तथा धारा 111 राज. भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों अन्तर्गत तहसीलदार को पैमाईश करने का अधिकार ही नहीं था। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी विनोद कुमार को विवाद की स्थिति में न्यायालय श्रीमान् के समक्ष आवेदन करना चाहिये था व पक्षकाराने की सुनवाई के पश्चात दोनो पक्षकारान की उपस्थिति में पैमाईश करनी चाहिये थी। प्रस्तुत प्रकरण में धारा 111 राज. भू राजस्व अधिनियम की पालना नहीं गई तथा पैमाईश दिनांक 02.12.2020 प्रावधान के विपरित होने के कारण अवैधानिक है। जिस कारण से प्रार्थी विनोद कुमार का यह प्रार्थना पत्र भी काबिले खारिज है।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज0

128 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही धारा 111 राज. भू राजस्व अधिनियम के बताये गये के से होगी, जिसमें यह व्यवस्था की गई कि किन्हीं सीमाओं के संबंध में विवाद की दशा में भू अभिलेख धिकारी ऐसे विवाद के विनिमय जहां तक सम्भव हो विद्यमान सर्वेक्षण के आधार पर जहां ऐसे मानचित्र पलब्ध ना हो वहां वास्तविक कब्जे के आधार पर करेगा यदि इस धारा के अधीन किस पक्षकार का कब्जा है, उससे प्रकट हो कि जॉच प्रारम्भ होने से तीन माह की अवधि के अन्दर अवैधानिक तरीके से बेदखल कर कब्जा प्राप्त किया है तो अभिलेख अधिकारी जॉच कर यह सुनिश्चित करेगा कि कौनसा पक्षकार कब्जे का सर्वोत्तम हकदार है। अतः प्रारम्भिक ऐतराजात प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त ऐतराजात को मध्य नजर रखते हुये आराजी खसरा नम्बर 18 वाके ग्राम हुसैपुर तहसील तिजारा की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही को रोका/ड्रोप किया जाने की आज्ञा सादिर फरमाई जावें।

उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 03.12.2020 के अनुसार हाल आराजी खसरा नम्बर 18 रकबा 2.21 है0 वाके ग्राम हुसैपुर तहसील तिजारा जिला अलवर की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार तिजारा को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)